



सत्यमेव जयते

दिनांक 22/11/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

ELECTION URGENT

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य निर्वाचन आयोग: अनुभाग-3 : देहरादून

विषय:- नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 में प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के संबंध में।
महोदय,

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 को सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या-874 एवं 875/रा0नि0आ0-3/1379/2013 दिनांक 15.10.2018 जारी की गयी थी। इसी क्रम में आदर्श आचार संहिता आयोग के पत्र संख्या-878/रा0नि0आ0-3/1379/2013 दिनांक 15.10.2018 लागू की गयी थी।

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 के निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाने के फलस्वरूप निर्वाचन सकुशल सम्पन्न हो चुका है। उक्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता दिनांक 22.11.2018 की सांय 05.00 बजे से निष्प्रभावी की जाती है।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1553/रा0नि0आ0-3/1379/2013 तददिनांक।(मेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
10. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमशः.....2

13. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
16. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार।
17. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
18. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग।
19. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
22/11/18
(रोशन लाल)
सचिव।